दिनांक-19.11.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम , भिलाई उड़नदस्ता टीम ने जोन क्षेत्र अंतर्गत होटल , रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों पर कार्यवाही की। जिसमें 02 व्यवसायियों द्वारा अपने दुकान पर घरेलु गैस सेलेण्डर का उपयोग करते हुए पाये जाने पर कार्यवाही की गई उसी प्रकार अन्य जगहों पर बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि की जायजा लिया गया तथा ऐसे प्रतिष्ठान जो बिना लायसेंस के चलाये जा रहे थे उससे दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही चेतावनी दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने पर नगर निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है।

निगम की उड़नदस्ता टीम द्वारा राधेलाल चाय नास्ता , शर्मा फर्नीचर, गुरुकृपा फर्नीचर, रुद्रांस फर्नीचर, नंदू किराना स्टोर्स, शंभूनाथ यादव भैंस खटाल, गरीबा ट्रेडर्स, चाय नास्ता सेन्टर, अन्य कुल 21 व्यवसासियों पर कार्यवाही की गई जिससे 13 हजार रुपये अर्थदण्ड लिया गया।

उड़नदस्ता की टीम सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में सड़क पर कचरा फैलाने वाले तथा सड़क पर सामान रखकर यातायात बाधित , लायसेंस नहीं रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है।

आयुक्त ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि गंदगी न फैलायें , यातायात प्रभावित न करें एवं सभी प्रतिष्ठान लायसेंस अपने दुकान पर ही रखें ताकि आप पर होने वाले कार्यवाही से बचा जा सके।

जनसम्पर्क अधिकारी